न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–139/2021 धारा–144 दं0प्र0सं0

लखन साव–बनाम–महादेव साव वगै0

(2)

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति

आवेदक के आवेदन के अधार पर वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षो को नोटिस निर्गत करते हुए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया। जिसके पश्चात उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए अपना–अपना कारण पृच्छा दाखिल किया।

प्रथम पक्ष ने अपना कारण पृच्छा दाखिल किया जिसमें इन्होने कहा कि मौजा बसरिया थाना बरही जिला हजारीबाग के खाता न0 06 एवं खाता न0 01 कमशः प्लॉट न0 124 रकवा 87 डी0 मधे 20 डी0 भुमि आवेदक के छरदादा अन्तु तेली के नाम से खतियान मे दर्ज है एवं खाता न0 01 प्लॉट न0 132/2 रकवा 18 डी0 मधे रकवा 05 डी0 आवेदक के दादा फकीरा साव के नाम से बिहार भुदान यज्ञ कमिटि हजारीबाग द्वारा दिनांक 03.06.1971 को हासिल है,छरदादा वो दादा के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारीगण शांतिपूर्वक दखल कब्जा जोत अबाद एवं सरकारी रसीद कटाते चले आ रहे है। फकीरा साव के दो पुत्र 1. सरयु साव 2. बाबुलाल साव हुए जो कार्यवाही भुमि एवं बंदोबस्ती वाली भुमि पर लगातार दखल कब्जे मे है। खाता न0 06 प्लॉट 124 रकवा 0.87 डी0 मधे रकवा 20 डी0 वाली भुमि बिना आपसी बंटवारा के बासुदेव कुम्हार व अन्य के द्वारा द्वितिय पक्ष महादेव साव व अन्य को रजरिट्र केवाला दिनांक 02.11.2021 द्वारा बेचा गया है, केवाला संबंधित दस्तावेज आधारहीन और अवैध है एवं खाता न0 06 एवं खाता न.01 के वास्तविक मालिक याचिकाकर्ता है। द्वितिय पक्ष जबरन जमीन हडपनें के नियत से निर्माण कार्य कर रहे है ।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है:–

1. प्रश्नगत भूमि खाता न0 06 से संबंधित अन्तु तेली के नाम से निर्गत वर्ष–2020 के लगान रसीद की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि खाता न0 132/2 से संबंधित फकीरा साव के नाम से निर्गत खतियान की छायाप्रति।
3. बिहार भुदान यज्ञ कमिटि से सबंधित फकीरा साव के नाम से निर्गत प्रमाण पत्र

द्वितीय पक्ष ने अपना कारण पृच्छा दाखिल किया जिसमें इन्होने कहा कि वाद में वर्णित विवादित भूमि जिसका खाता सं0–06, प्लॉट सं0–124 रकवा 87 डी0 मधे 20 डी जिसकी चौहदी उ0–रास्ता,द0–महादेव साव,पू0–लेखाकारी,प0–उमर कुम्हार वाली भुमि को मुकेश कुमार एवं महादेव साव दोंनों पिता कामेश्वर साव ने बिकेता बासुदेव कुमार पिता स्व0 कमल साव से दिनांक 2.11.2020 ई0 को रजिस्ट्री केवाला द्वारा हासिल किया है। मुकेश साव एवं महादेव साव खरीदगी तिथि से इस जमीन पर शांतिपूर्वक दखलकार है व घर मकान बना रहे है, जो लगभग 12 फीट तक छत ढालाई के लिए छड सेटरिंग हो गया है। द्वितिय पक्ष जो विवादित भुमि खरिदे है वह भुमि बासुदेव कुम्हार पिता स्व0 कमल साव खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी

(1)

महादेव साव पिता उगर साव साकिन बसरिया से दिनांक12.03.2016 ई0 को बरही निबंधन कार्यालय से निबंधित है। प्रथम पक्ष द्वारा बिहार भुदान यज्ञ कमिटि का जो दस्तावेज दाखिल किया गया है वह दस्तावेज मे न तो वितरण सभापति का हस्ताक्षर है और न ही यज्ञ कमिटि से प्रधिकृत सिरियल न0 है जो कि उक्त दस्तावेज बनावटी है जिसे प्रथम पक्ष जानबुझकर परेशान करने एवं मकान के निर्माण मे लगे सिमेन्ट,छड के बंबादी करने तथा पैसा वसुलने के नियत से जान बुक्षकर वाद लाया गया है।

द्वितीय पक्ष ने भी अपने दावे के समर्थन में निम्न कागजात प्रस्तुत किया है:–

1. निबंधित विक्रय पत्र की छायाप्रति।
2. प्रश्नगत भूमि का नक्सा की छायाप्रति।
3. प्रश्नगत भूमि खाता न0 06 प्लॉट न0 124 की भुमि से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. प्रश्नगत भूमि खाता न0 06 से संबंधित बासुदेव कुमार के नाम से निर्गत वर्ष–2016 के लगान रसीद की छायाप्रति।
5. निबंधन विभाग बरही से संबंधित सेल डीड न0 530/529 की छायाप्रति।
6. प्रश्नगत भूमि खाता न0 06 से संबंधित महादेव साव व मुकेश साव के नाम से निर्गत वर्ष–2021 के लगान रसीद की छायाप्रति।

अंचल अधिकारी बरही से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के पत्रांक 756 दिनांक 08.10.2021 में अंचल अधिकारी एवं अंचल अमिन से प्राप्त संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बसरिया खाता न0 06 प्लॉट न0 124 रकवा 0.20 ए0 भूमि द्वितिय पक्ष महादेव साव पिता कामेश्वर साव वगै0 को बजरिये केवाला सं0 1976 दिनांक 02.11.2020 द्वारा श्री बासदेव साव (कुमार) पिता स्व0 कमल साव के द्वारा केवाल की छायाप्रति दिया गया है,जो रैयती भूमि है और बासुदेव साव का उक्त भूखण्ड श्री महादेव साव पिता स्व0 उगर साव के हासील था। प्रथम पक्ष द्वारा 125 फीट 12 फीट भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है स्थल जॉच से ज्ञात हुआ कि उक्त भूखण्ड मसो0 मुनवा के भूमि से पूरब पडती है न कि द्वितिय पक्ष के पूरब मे। जिसका चौहदी निम्वत है उ0–मुनवा देवी, द0–पकीरा साव,पू0–खतियान हिस्सेदार,प0–महोदव साव वगै0 परन्तु चौहदी के अनुसार विवादित प्लॉट मुनवा देवी के पूरब पडती है न की द्वितिय पक्ष के पूरब में। द्वितिय पक्ष की भूमि की चौहदी निम्न प्रकार है उ0–रास्ता,द0–महादेव साव पिता उगर साव,पू0–विक्रेता,प0–उमर कुम्हार द्वितिय पक्ष की चौहदी के अनुसार स्थल पर दखल पाया ,तथा मौजा बसरिया के खाता न0 01 प्लॉट न0 132 रकवा 0.18 ए0 भूमि प्रथम पक्ष के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटि पर्चा का छायाप्रति दिया गया है,परन्तु विवादित स्थल पर इनका दखल नहीं है। उक्त जगह पर महादेव पर इनका दखल पूर्व से है जिसकी सहमति से कुछ अंश भाग पर द्वितिय पक्ष द्वारा मकान निर्माण का कार्य किया गया है जो ढलाई हेतु सेटरिंग किया जा चुका है।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा तथा संलग्न कागजात एवं अंचल अधिकारी बरही से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन के बाद एवं दोनों पक्षों के बयान तथा अधिवक्ताओं के दलील सुनने के पश्चात यह स्पष्ट होता कि प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने–अपने कागजातों एवं स्वत्व के आधार पर

दखल कब्जा का दावा कर रहे है,तथा एक–दुसरे के स्वत्व को गलत बता रहे है। स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि को लेकर स्वत्व निर्धारण एवं उसके आलोक में दखल कब्जा निर्धारण का विवाद है, जिसका निपटारा दं0प्र0सं0–144 के अधीन नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उभय पक्षों को निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने स्वत्व एवं हिस्सेदारी के लिए उभय पक्ष, अपने–अपने स्वत्व के आधार पर अपनी भूमि के दखल कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में अपना वाद दाखिल करने को स्वतंत्र है।ऐसी स्थिति में उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश के आलोक में कोई भी पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व (title) का दावा नहीं कर सकता है।

लेखापित एवं संशोधित
23/10/21
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

23/10/21
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.08 23:54:15 +05:30
Location: 192.168.101.22